



श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प इंदौर म.प्र.

क्रमांक - 2054-PB/46

रघुनन्दन शर्मा पिता स्व. श्री राजमलजी शर्मा
आयु 77 वर्ष, धन्धा कृषि एवं पेशनर
निवासी - गौतमपुरा तहसील देपालपुर जिला
इंदौर म0प्र0

— प्रार्थी

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी,
देपालपुर इंदौर

— प्रत्यर्थी

राजस्व रिवीजन अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भु-राजस्व संहिता

यह राजस्व रिवीजन श्रीमान अपर कमीशनर महोदय राजस्व संभाग
इंदौर द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक 372/अपील/2015-16 मे पारित
आदेश दिनांक 24.5.2016 से असंतुष्ट होकर माननीय न्यायालय के समक्ष
निम्न लिखित तथ्यो एवं आधारो पर सादर प्रस्तुत है :-

प्रमाण के लिये

संतोष मिश्रा
महोदय
अधीक्षक
इंदौर
22/6/16

R.2057-1BR/16 डकार
रघुनंदन / रामन

16.8.2016

आवेदक के विषयन अभिभाषक
डारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर
विचार किया गया। अपा आयुक्त के
आदेश दिनांक 24.5.2016 की सत्य
प्रतिवेपि का अवकाशन किया गया।
अपा आयुक्त के समस्त अवधि बाह्य
प्रस्तुत की गई है। सत्य ही सहमति
के आधार पर पालि आदेश के
विषय अपीव प्रस्तुत की गई है।
अतः अपा आयुक्त डारा अपीव
अवधि बाह्य प्रस्तुत होने एवं
सहमति के आधार पर पालि
आदेश के विषय अपीव प्रस्तुत
नहीं होने से अग्रह्य करने में
प्रथम दृष्ट्या विधि संगत कार्यवाही
की गई है। अतः यह निगरानी
आधारहीन होने से अग्रह्य की
जाती है।